

26-5-16

राजस्थान लोक अदालत न्याय आयोग द्वारा के गइल
उभय पक्षों से सुनवाई हेतु नोटिस जारी होने
के बाद पत्रावली आज राजस्थान लोक अदालत
अदालत सेवा केंद्र गुणप कचरावा पर पेश
हुयी। उभय पक्ष उपरोक्त वकालत का निस्तारण
कर रिफ्रेज होने के इच्छा व्यक्त के चलते का
कोई मोन्टियाप नहीं है। अतः प्राप्ति इसी दस्तावेज
पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली के (अनुक्रम)
होकर रखकर के कदम है तथा शामिल हुए
बाद हो।

(क)